(122)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(25)नविवि/3/2010पार्ट दिनांक 26 APR 2012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जयपुर नगर निगम,
जयपुर।

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन के संबध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ.13( )वनिनियो/जननि/2011/621 दिनांक 15.09.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा [illegible] गये मार्गदर्शन के क्रम में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें सक्षम समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी नहीं हुये है। चूंकि ऐसे प्रकरणों में नियमों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा निर्णय जयपुर मास्टर प्लान, 2025 लागू होने से पूर्व (दिनांक 05.09.2011 से पूर्व) लिया जा चुका है, उनमें नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
2. वे प्रकरण जिनमें आपत्ति/सुझाव आमंत्रित नहीं किये गये है तथा ऐसे प्रकरण जिनमें आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् सक्षम समिति द्वारा मास्टर प्लान जारी होने की तिथी तक निर्णय नहीं किया गया है, उनमें जयपुर मास्टर प्लान, 2025 के प्रावधान अनुसार 2 वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन निकाय स्तर पर निषेध रहेगा, परन्तु राज्य सरकार में उसके शिथिलता का प्राधिकार निहित है।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं के भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है, उनमें यदि सक्षम समिति द्वारा निर्णय मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व लिया जा चुका है, तभी भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जावें।

भवदीय,

ह०
(एन. एल. मीना)
उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

26/4/2012
उप शासन सचिव-तृतीय

(299)